संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाषः 0755–2550909, 2550918 फैक्स 0755–2550912

Email-icpsbhopal@gmail.com www. mpwcd.nic.in

क्रमांक/मबावि/22/ICPS/ 1007 भोपाल, दिनांक 9/9 /2022

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय :– **मिशन वात्सल्य में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार जिला स्तर पर प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति (*SFCAC*) के गठन के संबंध में।**

संदर्भ :– **शासन आदेश क्रमांक 6627/781492/2022/50–2 दिनांक 9.09.2022।**

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित संलग्न आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मिशन वात्सल्य के बिन्दु क्रमांक 4.2.3 के दिशा–निर्देश के तहत् प्रत्येक जिले में फॉस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप(केवल निवारक स्पॉन्सरशिप हेतु) के प्रकरणों की समीक्षा हेतु **प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति (*Sopnsorship & Foster care Approval Committee*)** का गठन किया गया है (संलग्न) जिसके मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

(*i*) समिति मिशन वात्सल्य के तहत् स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन।

(*ii*) स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर के प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करना और पात्र पाये गये सभी प्रकरणों को अंतिम आदेश के लिए बाल कल्याण समिति को प्रेषित करना।

(*iii*) समिति जिले में स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर के प्रकरणों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होगी।

(*iii*) समिति प्रत्येक माह में बैठक आयोजित करेगी और समयबद्ध रूप से आवेदन प्राप्त होने के तीन माह के भीतर प्रकरण पर निर्णय लेगी।

(*iv*) समिति स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर में गये बच्चे की अच्छी देखभाल और वह परिवार में अच्छी तरह से समायोजित किया गया है कि नही यह निर्धारित किये जाने हेतु प्रत्येक बच्चे के प्रकरण की वार्षिक समीक्षा करेगी और समीक्षा के आधार पर स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर आगे जारी रखे जाने की मंजूरी देगी।

(*v*) समिति समीक्षा करेगी कि क्या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अन्य विभागों से समन्ववय कर परिवार का सुदृढ़ीकरण किय जाने हेतु प्रयास किये है।

(*vi*) समिति प्रत्येक बच्चे के प्रकरण की समीक्षा किये जाने के उपरांत परिवार आधारित स्पॉन्सरशिप सेवा को समाप्त करने की अनुशंसा करेगी।

कृपया शासन के संदर्भित आदेश अनुसार जिले में फॉस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप(केवल निवारक स्पॉन्सरशिप हेतु) के प्रकरणों की समीक्षा हेतु समिति का गठन कर, कृत कार्यवाही से संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु मिशन वात्सल्य के दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राम राव भोंसले)
संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश
16/9/22

निरंतर...2

क्रमांक / मबावि / 22 / ICPS / 1008 भोपाल, दिनांक 19/9 /2022

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर।
3. संभागीय आयुक्त संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
4. संभागीय संयुक्त संचालक संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला समस्त मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश
16/9/22

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

::आदेश::

भोपाल दिनांक 9.9.22

क्रमांक -6627/781492/2022/50-2: राज्य शासन एतद् द्वारा मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 4.3.2 में दिये गये प्रावधानों के तहत फॉस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप (केवल निवारक स्पॉन्सरशिप हेतु) के प्रकरणों की समीक्षा हेतु प्रत्येक जिले में निम्नानुसार प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति (Sponsorship & Foster Care Approval Committee) का गठन करता है:-

1	कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2	जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य-सचिव
3	अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति	सदस्य
4	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) का प्रतिनिधि	सदस्य
5	संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत)	सदस्य
6	बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य

प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति (SFCAC) के अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। समिति मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार प्रायोजन एवं पालन पोषण (Sponsorship & Foster Care) कार्यक्रम का क्रियान्वयन मूल्यांकन तथा समीक्षा करेगी एवं प्रत्येक माह बैठक का आयोजन कर समयबद्ध रूप से आवेदन पर निर्णय लेते हुये पात्र पाये गये सभी प्रकरणों को अंतिम आदेश के लिए बाल कल्याण समिति को अनुशंसा करेगी।

6107
13/9/22

1806
13.9.22

P.O(V.S)
13/9/22

Rishiji

13-09-22

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय कटेसारिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग